न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 185 / 17 दायरा दिनांक 15.09.2017

पीठासीन अधिकारी :— श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

चतरसिंह पुत्र जीवनलाल जाति अहीर निवासी मुण्डियर तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.) — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद — रेस्पोस्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित :—

1. अभिभाषक प्रार्थी — वीरेन्द्र अग्रवाल, अजय अगवाल।
2. अभिभाषक अप्रार्थी— एक्स पार्टी।

निर्णय

दिनांक :— 31-7-2019

अपीलान्ट निम्न आधारों पर यह अपील पेश करता है। सम्मनीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को सर्वथा गलत तौर पर ग्राम मुण्डियर की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.10 बीघा किस्म बंजड भूमि साल 2073 का पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 19.05.2017 को अर्थदण्ड एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर अपीलान्ट उक्त उनवानी अपील प्रस्तुत कर रहा है। सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को बिना किसी सूचना के अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलान्ट की गैर हाजरी में अपीलान्ट को जबाव सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना प्रश्नगत निर्णय पारित किया है सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19/05/2017 को पत्रावली पर अपीलान्ट को विवादित आराजी का पश्चावर्ती अतिक्रमी बाबत् कोई प्रमाणित साक्ष्य न होने के बाद भी सर्वथा गलत तौर पर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमी नहीं किया है। अपीलान्ट एक छोटे से गांव का खेतीहर मजदूर है जिसका पूर्वजों के समय का मकान बना हुआ है। जिसमें अपीलान्ट के पास ग्राम मुण्डियर या अन्य किसी स्थान पर कोई मकान बना हुआ है जिसमें अपीलान्ट अपने जन्म के समय से निवास करता चला रहा है इस मकान के अलावा अपीलान्ट के पास ग्राम मुण्डियर या अन्य किसी भी स्थान पर कोई मकान नहीं है अपीलान्ट का मकान स्कूल एवं रोड से करीब 200 फुट दूर अपीलान्ट के मकान के आगे की खाली जगह पर गावं के कुछ अरसदार लोग कब्जा करना चाहते है और वह लोग पटवारी हल्का से अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट करवा रहे हैं। यदि अपीलान्ट का मकान या उसका कोई हिस्सा ख.नं. 2 की बंजड भूमि में आ रहा है। तो अपीलान्ट लम्बे कब्जे के आधार पर विवादित जगह को नियमन कराने का हकदार है सम्मनीय अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी कानून बिन्दुओं निर्णय पूर्व कोई ध्यान नहीं दिया है और पत्रवाली पर उपलब्ध साक्षय एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व मौका न ही देखा न ही कोई स्वतन्त्र साक्ष्य ली मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर प्रश्नगत निर्णय पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी ठहराया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वथा मनमाने तौर पर पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट को आधार मानकर बिना किसी जांच के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। प्रश्नगत निर्णय की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.09.2017 को पुलिस द्वारा गिरफतार करने की धमकी देने पर हुई इससे पूर्व प्रार्थी का उक्त निर्णय की कोई जानकारी नही थी जानकारी होने के बाद प्रार्थी ने नकल निर्णय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया दिनांक 13.09.2017 का नकल मिलने पर यह अपील प्रस्तुत है

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार शाहबाद के प्रकरण संख्या 1208/17 निर्णय दिनांक 19.05.17 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कस्बाथाना की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.10 बीघा किस्म बंजड़ पर अतिक्रमी मानकर 800/– रूपये जुर्माना, फसल नीलामी एवं बेदखली के आदेश दिए गए हैं,। साथ ही अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब व साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया गया है तथा मनमाना निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय निरस्त फरमावें ।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ ही अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 2 रकबा 0.10 बीघा पर मकान बना हुआ है। ट्यूबवैल लगी हुई है। रास्ता अवरूद्ध नहीं है। पटवारी के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बाबत् कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा रोड के समीप व स्कूल के रास्ते के समीप अतिक्रमण कर रखा है।

पत्रावली के अवलोकन व बहस अभिभाषकगण सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि अपीलान्ट का अतिक्रमण पूर्व में हटाया था तथा उसने पुनः अतिक्रमण कर लिया। चुंकि अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट के विरूद्ध अनुपस्थित मानकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अतिक्रमण हटाने हेतु अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली का अवलोकन करने व बहस अपीलान्ट सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्ट अतिक्रमी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया है वह उचित है परन्तु प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अतः अपीलान्ट को अतिक्रमण हटाने हेतु अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्ट यदि सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करादे एवं 15 दिवस की अवधि में कब्जा हटाले तो सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रहेगा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय का सिविल कारावास का आदेश भी यथावत रहेगा।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 14:11:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: